

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III
(पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

08 जुलाई, 2022

पर्यावरणीय अपराधों के लिए न्याय जल्दी और समान रूप से दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जिसे भारत के जंगलों और इसकी पर्यावरणीय संपत्तियों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, ने प्रमुख पर्यावरण कानून के वर्गों में संशोधन करने और संभावित उल्लंघनकर्ताओं के लिए उन्हें कम खतरा बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारत में आठ आधारशिला कानून हैं जो इसे सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक ढाँचे को परिभाषित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का बेवजह दोहन नहीं किया जा सकता। प्रदूषण के कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उल्लंघन करने वालों को दंडित करने और रोकने के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा।

मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत, उल्लंघन करने वालों को पाँच साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उल्लंघन जारी रहने पर, हर दिन के लिए ₹ 5,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना है, जिसके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन दोष सिद्ध होने के बाद भी जारी रहता है। जेल की सजा को सात साल तक बढ़ाने का भी प्रावधान है। प्रस्तावित नए संशोधनों के तहत, मंत्रालय का कहना है कि वह "साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के डर" को दूर करना चाहता है और इसलिए ऐसे उल्लंघनों पर केवल मौद्रिक जुर्माना लगाया जाए।

हालाँकि, गंभीर पर्यावरणीय अपराध जो गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बनते हैं, भारतीय दंड संहिता के तहत कारावास को आमंत्रित करेंगे। ये दंड एक 'निर्णय अधिकारी' द्वारा तय किया जाएगा और 'पर्यावरण संरक्षण कोष' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, संभावित जुर्माने की मात्रा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच करोड़ रुपये कर दी गई है। ये प्रस्ताव अभी तक कानून नहीं हैं और फीडबैक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए हैं।

एक प्रश्न है कि क्या कारावास की धमकी एक निवारक के रूप में कार्य करती है, समर्थकों और विरोधियों दोनों के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। प्रस्तावित संशोधन वनों और वन्यजीवों के विनाश को कवर नहीं करते हैं, जो पर्यावरण अपराध का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों को आमंत्रित करना जारी रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में पर्यावरण अपराध पर शोध से पता चलता है कि जुर्माना सजा का सबसे आम तरीका है।

भारत में कॉरपोरेट उल्लंघनों के साथ-साथ बेहद धीमी गति से निवारण प्रणाली का एक लंबा इतिहास रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक विश्लेषण में पाया गया है कि भारतीय अदालतों ने पर्यावरण उल्लंघन के मामलों के बैकलॉग को निपटाने में 9-33 साल का समय लिया। 2018 से शुरू होकर, लगभग 45,000 मामले मुकदमे के लिए लंबित थे और उस वर्ष अन्य 35,000 मामले जोड़े गए थे।

सात प्रमुख पर्यावरण कानूनों में से पाँच में 90% से अधिक मामले मुकदमे के लिए लंबित थे, जबकि जुर्माना सैद्धांतिक रूप से तेजी से निवारण में मदद कर सकता है, धीमी न्याय प्रणाली की प्रचलित प्रथा को जोड़ते हुए, अदालतों में बड़े पर्यावरणीय जुर्माने का विरोध जारी रहेगा। कारावास का खतरा भारत में एक निवारक के रूप में काम कर सकता है जहाँ पर्यावरण विनियमन की प्रभावशीलता बराबर है। पर्यावरणीय अपराधों के लिए कानून के साथ छेड़छाड़ करने से पहले जल्दी और समान रूप से न्याय दिया जाना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम (1980) पारित किया है।
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर (c)

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements -

1. The Government of India has passed the Forest Conservation Act (1980) for the protection of forests and development of forests.
2. The main objective of the Environment (Protection) Act, 1986 is to try to keep the ecosystem free from pollution.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

Ans. (c)

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. सजा के पर्याप्त दंडात्मक तरीकों के अभाव के कारण पर्यावरणीय अपराधों में वृद्धि पर्यावरणीय कानूनों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. The increase in environmental crimes due to lack of adequate punitive methods of punishment puts a question mark on the relevance of environmental laws. Discuss. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।